

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

—:प्रेस नोट:—

दिनांक: 29.08.2023

आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के अभ्यर्थियों हेतु पूर्व में जारी प्रेसनोट दिनांक 24.08.2023 में पांचवा विकल्प अंकित किये जाने हेतु निर्धारित पांच मिनट के प्रावधान को अधिक्रमित (supersede) करते हुए समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि—

अभ्यर्थियों द्वारा ओएमआर आंसर शीट में समस्त प्रश्नों के लिये किसी एक विकल्प (गोले) का चयन कर उसे भर दिया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्व में दिये गये 5 मिनट अतिरिक्त समय के स्थान पर 10 मिनट अतिरिक्त समय दिये जाने का आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है।

(रामनिवास मेहता)
सचिव